आरएमजीबी RMGB

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राजस्थान सरकार व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का संयुक्त उपक्रम)

आचार्य TECHNOLOGIES www.acharyagroup.com 890 190 3333

ग्राहक सेवा केन्द्र

उत्पाद और सेवाएँ

- बचत बैंक खाता
- फण्ड ट्रान्सफर (खाते से खाते में)
- तत्काल धन प्रेषण
- कार्ड आधारित लेन-देन
- आधार सक्षम भुगतान लेन-देन
- अटल पेंशन योजना
- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- आधार सीडिंग
- ऋण भुगतान
- खाते का मिनी स्टेटमेंट
- माइक्रो एटीएम से रुपये 10,000/- तक नकद राशि निकालना (किसी भी बैंक के ग्राहक अपने डेबिट/एटीएम कार्ड का उपयोग करके)

(क) नकद जमा निकासी रु. 40,000/- तक प्रति दिन
(ख) ऋण खाते में रु. 20,000/- तक जमा
(ग) प्रेषण रु. 20,000/- तक
(घ) आईएमपीएस प्रेषण रु. 5,000/-
(अधिकतम रु. 25,000/- प्रतिमाह)
(ङ) AEPS और कार्ड आधारित लेन-देन रु 10,000/- तक
(च) पासबुक लिंक शाखा में जारी की जाती है । कियोस्क ऑपरेटर पासबुक जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है । पासबुक लिंक शाखा पर अद्यतन की जाती है ।
(छ) सभी वित्तीय लेन-देन सम्बन्धित कंप्यूटर प्रिंटआउट रसीद/विवरण की हमेशा मांग करें। कोई भी हस्तलिखित रसीदें /विवरण स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए ।

अटल पेंशन योजना

कम से कम निवेश बुढ़ापे में अधिक से अधिक लाभ

समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिए जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है ।

मासिक पेंशन आपके अंशदान पर आधारित होगी

₹42 से ₹ 210 प्रति माह तक अंशदान करने पर

60 वर्ष की आयु से

₹1000 से ₹5000

तक की पेंशन का आजीवन भुगतान पायें

जुड़ने की आयु	अंशदान के वर्ष	सांकेतिक मासिक अंशदान (रूपये में)	अभिदाता तथा उसके पति/पत्नि को मासिक पेंशन (रूपये में)	अभिदाताओं के नामिनी को प्राप्त होने वाली मूलनिधि का सांकेतिक विवरण (लाखों में)
18	42	210	5,000	8.50 लाख
20	40	244	5,000	8.50 लाख
25	35	376	5,000	8.50 लाख
30	30	577	5,000	8.50 लाख
35	25	902	5,000	8.50 लाख
40	20	1454	5,000	8.50 लाख

60 वर्ष की आयु से प्रति माह एक निश्चित पेंशन राशि आप एवं आपके बाद आपके जीवन साथी को मिलेगी एवं आपके जीवन साथी की मृत्यु के पश्चात आपके नामिनी को 1,70,000/- से 8,50,000/- की संग्रहित राशि मिलेगी ।

प्रीमियम की राशि खाता धारक के बचत खाते से बैंक द्वारा ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से आहरित की जायेगी ।
कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा ।
सेक्शन 80 CCD (1) और 80 CCD (1B) के तहत टैक्स लाभ

अपनी निकटतम बैंक शाखा अन्यथा बैंक मित्र से तुरंत संपर्क करें एवं योजना का लाभ उठायें ।

संकल्प है हमारा - सुरक्षित हो ग्राहक हमारा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

दुर्घटना बीमा

₹ 2 लाख तक

सिर्फ

₹ 20 वार्षिक भुगतान पर

समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिये जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है।

आपके बाद, आपके परिवार को मिलेगी बीमा राशि

- प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक द्वारा ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से आहरित की जायेगी ।
- कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाते द्वारा ही इस योजना के लिये पात्र हो सकता है ।
- दुर्घटना पर 2 लाख रूपये तक की बीमा राशि ।
- दावा दुर्घटना के 30 दिनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा सूचना के 60 दिनों में दावे का निपटान ।
- नामित अनिवार्य ।

अपनी निकटतम बैंक शाखा अथवा बैंक मित्र से तुरन्त सम्पर्क करें एवं योजना का लाभ उठायें ।

संकल्प है हमारा - सुरक्षित हो ग्राहक हमारा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

जीवन बीमा

₹ 2 लाख का

सिर्फ

₹ 436 वार्षिक भुगतान पर

समस्त बचत बैंक खाताधारकों के लिये जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है।

आपके बाद, आपके परिवार को मिलेगी बीमा राशि

- प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक द्वारा ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ।
- कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाते द्वारा ही इस योजना के लिये पात्र हो सकता है ।
- दुर्घटना एवं सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये की बीमा राशि ।
- दावा मृत्यु के 30 दिनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा सूचना के 60 दिनों में दावे का निपटान ।
- नामित अनिवार्य ।

अपनी निकटतम बैंक शाखा अथवा बैंक मित्र से तुरन्त सम्पर्क करें एवं योजना का लाभ उठायें ।

भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना - 2021
सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु

प्रथम स्तर

लिंक शाखा प्रबंधक का नाम

लिंक शाखा का पता

शाखा प्रबंधक का मोबाईल नं.

द्वितीय स्तर

क्षेत्रीय प्रबंधक का नाम

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का पता

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का दूरभाष

तृतीय स्तर

महाप्रबंधक
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय
तुलसी टावर, 9th बी रोड़, सरदापुरा, जोधपुर 342003
दूरभाष - 0291-2593100

यदि शिकायत का निवारण 30 दिवस के भीतर नही किया जाता है तो ग्राहक निम्न माध्यम से बैंकिंग लोकपाल अपनी समस्या/शिकायत प्रेषित कर सकता है ।

1. निम्न पते पर लिखित माध्यम से :

केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण क्रेंद्र (सीआरपीसी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17
चंडीगढ़ - 160 017

2. ऑनलाइन माध्यम से :

CMS पोर्टल पर : https://cms.rbi.org.in

3. ई-मेल के माध्यम से :

crpc@rbi.org.in

टोल फ्री 14448 पर इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम 24 X 7 उपलब्ध है और संपर्क केंद्र कर्मियों से जुड़ने की सुविधा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है ।

आरएमजीबी
RMGB

ग्राहक सेवा केन्द्र (CSP)

ग्राहक क्या करे - क्या न करे

क्या करें

1. अपने लेन देन के लिए हमेशा सिस्टम से तैयार की हुई रसीद ही प्राप्त करे ।
2. सीएसपी द्वारा जारी खाता वितरण में अपने शेष की जाँच कर ले ।
3. केवल राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की शाखा द्वारा जारी पासबुक ही स्वीकार करे ।
4. ग्राहक सेवा केंद्र में लेन देन की अधिकतम सीमा रुपये 40,000/- है ।
5. विभिन्न सेवाओ के लिए शुल्क सारणी (फीस चार्ट) देखे ।
6. अपना खाता सक्रिय रखे अर्थात उसमे लेन-देन करते रहे । दो वर्ष एवं उससे अधिक समय तक लेन-देन न होने की दशा में खाता असक्रिय कर दिया जायेगा ।
7. नवीनतम केवाईसी जानकारी/पता उपलब्ध कराये ।
8. अपने रूपये/एटीएम कार्ड का नियमित रूप से उपयोग करे ।
9. एटीएम कार्ड को सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए और इसे अन्य किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए ।
10. एटीएम कार्ड पिन की जानकारी किसी भी व्यक्ति को न बताये । यह भी ध्यान रखे कि एटीएम/माइक्रो एटीएम मशीन पर पिन डालते समय किसी को दिखायी न दे । अपने पिन को लिखकर न रखे, कृपया याद रखे ।
11. अपने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के खाते को आधार नंबर से जोड़े ताकि DBT खाते में आ सके तथा लेन-देन अंगूठे के माध्यम से आसानी से हो सके ।
12. अपने मोबाइल नंबर को खाते से जोड़े । लेन-देन की सूचना प्राप्ति के लिए एसएमएस अलर्ट की सुविधा चालू करवाये ।
13. बायोमैट्रिक लेन-देन के लिए, कृपया सुनिश्चित करे कि आपकी अंगुली साफ है । हमेशा साफ अंगुली का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि पहचान आसानी से सत्यापित हो सके ।
14. निम्न योजनाओ के लिए आवधिक प्रीमियम/अंशदान हेतु खाते में पर्याप्त शेष रखे,
    अ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
    ब) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
    स) अटल पेंशन योजना (APY)
15. अपने लोन की किश्त का समय से भुगतान करे ।
16. संदेह होने पर, कृपया लिंक शाखा से टेलीफोन नंबर.......................................पर संपर्क करे ।
17. सीएसपी पर जमा/निकासी/अंतरण/खाता खुलवाने या अन्य सेवाओ हेतु बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क खाते से नामे होने के अतिरिक्त रुपये मांगे जाने पर उसकी शिकायत शाखा प्रबंधक अथवा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी को करे ।
18. सीएसपी के बंद रहने की दशा में निकटतम सीएसपी अथवा शाखा में संपर्क करे एवं इसके 7 से ज्यादा दिन बंद रहने की दशा में लिंक शाखा में शिकायत करे ।

क्या न करें

1. हाथ से तैयार की हुई रसीद स्वीकार न करे ।
2. CSP को पासबुक में कोई भी मैन्युअल प्रविष्टि करने की अनुमति न दे ।
3. अपना रुपे कार्ड/पिन नंबर किसी भी व्यक्ति को न बताये, CSP को भी नहीं ।
4. किसी को भी अपना OTP ना बताये ।
5. एंड्राइड एप्लीकेशन हेतु प्ले स्टोर एवम् IOS एप्लीकेशन हेतु एप स्टोर का प्रयोग करे । किसी भी अनजान लिंक को ना खोले एवं अनजान APK डाउनलोड ना करे ।